पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रो से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25-02-2021

दिनांक 24/25-02-2021 को रात्रि थाना गोमतीनगर 01, नगराम 01, हजरतगंज 01, गाजीपुर 01 गिरफ्तार। इस प्रकार वंछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना वजीरगंजः- आज दिनांक 25.02.2021 को एस0आई0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना वजीरगंज द्वारा अभियुक्त 01—लक्ष्मण रावत पुत्र स्व0 शिवमें नि0 ग्रामा रामनगर थाना माल लखनऊ को रेलवे क्रांसिग के पास शास्त्रीनगर थाना वजीरगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अभियुक्त गिरफ्तार।

चिनहटः-दिनांक-25.02.2021 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.09.2019 को वादी निवासी थाना चिनहट लखनऊ द्वारा थाना चिनहट पर धारा 363 / 366 / 376 / 419 / 420 भादवि व धारा 3 / 4 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1.चन्द्रिका के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक चिनहट द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 25.02.2021 को** प्रभारी निरीक्षक चिनहट लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभि0 **1.चन्द्रिका पुत्र सुखराम निवासी ग्राम बीरमपुर दुग्गौर थाना मड़ियाव लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर कांशीराम कालोनी लौलाई मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना चिनहट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगर:-आज दिनांक 25.02.2021 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 25.02.2021 को श्री शहनवाज पुत्र श्री इशरत अली निवासी-तपोवन नगर कानपुर रोड लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि उसकी बहन हीना बानो जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष है। वादी की बहन की शादी इरफान पुत्र श्री रफीक उर्फ लाला के साथ 2018 में हुई थी। वादी की बहन अपने पति के साथ मोहल्ला कटरा बिजनौर थाना सरोजनीनगर लखनऊ में रहती थी। वादी की बहन का पति वादी की बहन को मारता-पीटता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और वादी की बहन से अपने पिता से पैसे लेकर आने के लिए मारत-पीटता था। वादी शहनवाज का आरोप है कि उसकी बहन को इरफान और उसके माता-पिता ने मिलकर हत्या कर दी और सभी घर वाले फरार हो गये है। इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 103 / 2021 धारा 498ए/304बी/भादवि व 3 / 4 डी0पी0 एक्ट का अभियोग बनाम 1-इरफान (पति) 2-रफीक उर्फ लाला (ससुर) 3-इरफान की मा (सास) 4-ननद 5-देवर निवासीगण मोहल्ला कटरा बिजनौर थाना सरोजनीनगर लखनऊ के विरुद्व पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर द्वारा की जा रही है।